अनुदान संख्या 45 - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
GRANT No. 45 - MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	2941,99,00	2942,02,00	1455,13,21	-1486,88,79
पूरक	Supplementary	3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1485,35,46

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :–

Notes and comments

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2408"	Major Head "2408"				
खाद्य, भंडारण और भांडागार	Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	241199.00			
पू.	S.	2.00	136926.19	136777.08	-149.11
पु.	R.	-104274.81			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोतर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	18000.00			
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-18001.00	..	..	..

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	30000.00	5029.74	5029.73	-0.01
पु.	R.	-24970.26			
मुख्य शीर्ष "3602" विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अनुदान सहायता	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	1000.00	150.00	150.00	..
पु.	R.	-850.00			

(I) ₹18001.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) मुख्य शीर्ष "2552" – "खाद्य – खाद्य प्रसंस्करण" के तहत निम्नलिखिरत दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा :–

(I) Provision of ₹18001.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2022) remained wholly unutilized under two heads under Major Head "2552" - "Food-Food Processing" - under the following heads:-

(का) "प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना" – ₹9001.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(A) "Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana" - ₹9001.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh); and

(खा) "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना" – ₹9000.00 लाख।

(B) "PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme" - ₹9000.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2408" – "खाद्य" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "खाद्य प्रसंस्करण" –

(क) "प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना" – ₹15634.09 लाख की बचत (₹69660.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी, नई परियोजनाओं की मंजूरी नहीं मिलने, निधियों को जारी करने के लिए व्यवहार्य प्रस्तावों के नहीं मिलने, किसान रेल को सब्सिडी बंद करने और प्रयोगशालाओं के लिए अनुदान जारी करने के मानदंडों में बदलाव करने के कारण हुई।

(ख) "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना" – ₹21734.44 लाख की बचत (₹41798.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों/समान्य बुनयादी ढांचे की स्थापना के लिए कम क्रेडिट लिंक्ड आवेदन प्राप्त होने, विज्ञापन और प्रचार कार्यों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सौंपने और राष्ट्रीय परियोजना निगरानी यूनिट टीम को हटाने के कारण हुई।

(ग) "सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन–लिंक्ड प्रोत्साहन योजना" – ₹53216.78 लाख की बचत (₹102200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना के तहत व्यय को अगले वित्तीय वर्ष में स्थानांतरित करने और लाभार्थियों से कम प्रोत्साहन दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना"–

(क) "प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना" – ₹5440.17 लाख की बचत (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹0.40 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹7470.40 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने और नई परियोजनाओं को

(II) Under Major Head "2408" - "Food" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Food Processing" -

(a) "Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana" - saving of ₹15634.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹69660.00 lakhs) was due to delay in implementation of approved projects, non-approval of new projects, non-receipt of viable proposals for release of funds, discontinuation of subsidy to Kisan Rail and change in norms for release of grants for laboratories.

(b) "PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme" - saving of ₹21734.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹41798.00 lakhs) was due to receipt of less credit linked applications for setting up of micro food processing enterprises/common infrastructure, delegating of advertising and publicity works to states/Union Territories and attrition of National Project Monitoring Unit team.

(c) "Production-Linked Incentive Scheme for Food Processing Industry" - saving of ₹53216.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹102200.00 lakhs) was due to shifting of expenditure under the scheme to next financial year and receipt of less incentive claims from the beneficiaries.

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana" - saving of ₹5440.17 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹7470.40 lakhs including token supplementary grant of

मंजूरी मिलने में देरी के कारण हुई।

(ख) “प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना” – ₹3909.00 लाख की बचत (₹5379.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों और सामान्य बुनियादी ढाँचे के लिए कम क्रेडिट लिंक्ड आवेदन प्राप्त होने के कारण हुई।

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप–योजना” –

(क) “प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना” – ₹3734.26 लाख की बचत (दिसंबर, 2022 में प्राप्त किए गए ₹0.60 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3870.60 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(ख) “प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना” – ₹2060.00 लाख की बचत (₹2823.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(III) मुख्य शीर्ष “3601” – “केंद्र प्रायोजित योजनाएं के अंतर्गत” – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :–

(का) “केंद्रीय सहायता/हिस्सा – प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना” – ₹23157.42 लाख की बचत (₹27000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना” – ₹1234.52 लाख की बचत

₹0.40 lakh obtained in December, 2022) was due to non-receipt of viable proposals and delay in sanctioning of new projects.

(b) “PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme” - saving of ₹3909.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5379.00 lakhs) was due to receipt of less credit linked applications for setting up of micro food processing enterprises and common infrastructure.

(C) “Tribal Area Sub-Plan” -

(a) “Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana” - saving of ₹3734.26 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3870.60 lakhs including token supplementary grant of ₹0.60 lakh obtained in December, 2022) was due to non-receipt of viable proposals.

(b) “PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme”- saving of ₹2060.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2823.00 lakhs);

(III) Under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes” - savings occurred under the following heads: -

(A) “Central Assistance/Share - PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme” - saving of ₹23157.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27000.00 lakhs);

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme” - saving of ₹1234.52

(₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना" – ₹578.33 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(IV) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं – केंद्रीय सहायता/शेयर – पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना" के तहत – ₹733.00 लाख की बचत (₹862.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों और सामान्य बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए कम क्रेडिट लिंक्ड आवेदनों की प्राप्ति के कारण हुई।

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹443.60 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत है।

2. उपरोक्त बचतें आंशिक रूप से (₹1505.00 लाख) पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए उपयोग कर ली गईं, जैसा कि मार्च, 2023 में मुख्य शीर्ष "2408" – "खाद्य – खाद्य प्रसंस्करण – राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (हरियाणा)" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित किया गया था।

lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs);

(C) "Tribal Area Sub-Plan - PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme" - saving of ₹578.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs); and

(IV) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme" - saving of ₹733.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹862.00 lakhs).

Savings under the above five heads were due to receipt of less credit linked applications for setting up of micro food processing enterprises and common infrastructure.

(V) Under one head saving of ₹443.60 lakhs occurred constituting 11 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (₹1505.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2023 under Major Head "2408" - "Food - Food Processing - National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management (Haryana)".